

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर  
क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(एम-423)/2019/ दिनांक:-

आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में पंजीबद्ध एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 9825/2014 द्वारा श्रीमती किरण देवी, अतिरिक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 06.10.2017 की पालना में याचिकाकर्ता का स्थानान्तरण नहीं किये जाने को अवमानना की श्रेणी में मानते हुये अवमानना याचिका संख्या 1162/2018 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.02.2019 के अनुक्रम में याचिकाकर्ता श्रीमती किरण देवी, अतिरिक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का स्थानान्तरण उप स्वास्थ्य केन्द्र, देवड़ा, खण्ड सिवाना, जिला बाड़मेर से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रतनगढ़, जिला चूरु के अधीन किया जाता है।

—sd  
(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर

दिनांक:- 07/03/2019

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(एम-423)/2019/485

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक (जन स्वा0), मुख्यालय।
6. अतिरिक्त महाधिवक्ता महोदय, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
7. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
8. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन-जोधपुर/बीकानेर।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर/रतनगढ़, जिला चूरु।
10. उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वा0) एवं प्रभारी अधिकारी केस, बाड़मेर।
11. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिवाणा (जिला बाड़मेर)।
- ✓ 12. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
13. सम्बन्धित कर्मचारी को पालनार्थ।
- ✓ 14. आदेश/रक्षित पत्रावली।

7  
(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर